न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा सं.—228/2021

उनवान

भवानी शंकर बनाम आमीना वगै0

1. भवानी शंकर शर्मा पुत्र श्री वासुदेव उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी जाखल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुंनूं (राज.)।

—वादी

बनाम

1. आमीना पत्नी श्री मकबूल व्यापारी जाति कायमखानी मुसलमान निवासी जयभारत कबाड़ी मार्केट रोड़ नं. 2 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. नफीज सुनीशा पत्नी सरवरअली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 28 मोहल्ला बटवालान झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. बरकत पुत्र जुम्मे खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 21 स्टार अकेडमी बाकरा रोड़ झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. विजेन्द्र सिंह पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी बाकरा तह व जिला झुन्झुनू (राज.)।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू तह व जिला झुन्झुनू (राज.)

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक गण :—

1. श्री राजकुमार सैनी — वादी की ओर से।
2. श्री मो0 फारूख खान — प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

दिनांक :— 23-09-2022

विवेचन

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.04.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर दावा की धारा 14 (क) के अनुसार ग्राम झुन्झुनू तहत

उप खण्ड अधिकारी

तहसील झुन्झुनू स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 3331 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 3333 रकबा 1.42 है0 कुल किता 2 बाबत तहसीलदार झुन्झुनू को 500 रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया था कि वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हक हिस्से की सीमा तक पक्षकारों की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.09.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 7 दिवस में न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/1814 दिनांक 23.06.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किया है। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिशल किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना जाहिर है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें, तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)